बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, Email- bseapatna@gmail.com, वेबसाईट : http://bsea.bihar.gov.in

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 1-14/2024 2453 /पटना, दिनांक 26-10-26

प्रेषक,

कयूम अंसारी,

संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

प्रबंध निदेशक, कम्फेड, बिहार, पटना।

प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार।

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहार, पटना।

सभी प्रबंध निदेशक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0।

विषय : **सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु मतदान केंद्र वार मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सहकारी समितियों की मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्राधिकार के पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत है। उक्त पत्र की कंडिका-2 (i) (क) के अनुसार सहकारी समिति द्वारा निर्वाचन देय तिथि के कम से कम 180 दिन पूर्व 15 दिनों की नोटिस पर प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची पर अनुमोदन हेतु प्रबंध समिति की विशेष बैठक आयोजित किये जाने की व्यवस्था है। पत्र की कंडिका- 2 (i) (ग) में उल्लेख है कि उक्त विशेष बैठक की सूचना समिति के सूचना पट्ट पर एवं समिति के कार्यक्षेत्र में अवस्थित अन्य सरकारी भवन, यथा- सामुदायिक भवन इत्यादि पर लगाई जायेगी।

2. **वर्तमान में प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची की तैयारी हेतु निम्नांकित व्यवस्था है -**

(i) प्रबंध समिति की विशेष बैठक में तीन भाग में मतदाता सूची रखी जाती है।

(ii) **खंड-क** विगत निर्वाचन की मतदाता सूची, जिस पर मतदान हुआ हो।

(iii) **खंड-ख** विगत निर्वाचन के बाद नियमानुकूल जोड़े गये सदस्यों की सूची

(iv) **खंड-ग** विगत निर्वाचन की मतदाता सूची से हटाएं गए सदस्यों की सूची (कारण सहित)।

(v) **उक्त खंड क, ख एवं ग के आधार पर समेकित सूची तैयार की जाती है, जो प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची होती है।** समिति द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव इसी के अनुरूप संबंधित निबंधन पदाधिकारी (जैसे- जिला सहकारिता पदाधिकारी) को

उपलब्ध कराई जाती है, जिसके आधार पर निर्वाचन प्रस्ताव प्राधिकार को प्राप्त होता है।

3. **वर्तमान में सहकारी समितियों की मतदाता सूची वार्डवार/ पंचायतवार/ प्रखंडवार/ जिलावार नहीं तैयार होती है, जिस कारण निम्नांकित समस्याएं होती हैं –**

(i) एक से अधिक स्थान पर मतदान केंद्र बनने पर मतदाता सूची के विखंडन के दौरान इसकी संभावना होती है कि वार्ड नम्बर–15 के मतदाताओं का मतदान केंद्र वार्ड नम्बर–1 में पड़ जाए और वार्ड नम्बर–1 के मतदाताओं का मतदान केन्द्र वार्ड नम्बर–15 में। इससे मतदाताओं को मतदान के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस कारण मतदान केन्द्र के निर्धारण के संबंध में भी शिकायतें प्राप्त होती है।

(ii) मतदाता सूची में पूर्व से कई नाम की दोहरी/ तिहरी प्रविष्टियां विद्यमान हैं। मतदाता सूची वार्डवार/ पंचायतवार/ प्रखंडवार/ जिलावार नहीं बनने से इन दोहरी/ तिहरी प्रविष्टियों की पहचान करने में कठिनाई होती है और फर्जी वोटिंग की शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(iii) पंचायत की भौगोलिक संरचना के अनुरूप मतदान केन्द्र नहीं रहने से पंचायत के बीचो–बीच नदी/ पहाड़ी इत्यादि होने की स्थिति में मतदाताओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

(iv) मतदान के दौरान मतदाताओं को भी अपने मतदाता क्रमांक को पता करने में भी अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(v) अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता को भी मतदाताओं के क्रमांक को पता करना कठिन होता है।

4. **अतः सम्यक विचारोपरांत प्राधिकार द्वारा सहकारी समितियों की मतदाता सूची मतदान केंद्र के अनुरूप वार्डवार/ पंचायतवार/ प्रखंडवार/ जिलावार तैयार करने का निर्णय लिया गया है। मतदाता सूची मतदान केंद्र के अनुरूप वार्डवार/ पंचायतवार/ प्रखंडवार/ जिलावार तैयार करने हेतु निम्नांकित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा –**

(i) विगत निर्वाचन (खण्ड–क) की मतदाता सूची यथावत रखी जाएगी। लेकिन जब खंड 'घ' में इसके डेटा की प्रविष्टि होगी तो वार्डवार करना होगा।

(ii) खण्ड–ख एवं खण्ड–ग की सूची वार्डवार/ पंचायतवार/ प्रखंडवार/ जिलावार तैयार की जाएगी।

(iii) समेकित सूची में खंड– क, ख एवं ग का समेकित डेटा रहता है। अब इस समेकित सूची को खंड 'घ' की सूची कहा जाएगा।

(iv) समेकित सूची संलग्न खंड–घ के प्रपत्र में मतदान केन्द्र संख्या के अनुरूप वार्डवार/ पंचायतवार/ प्रखंडवार/ जिलावार तैयार एवं विभाजित की जाएगी।

(v) खण्ड–'घ' की सूची **प्रपत्र– एम॰ 1 के Format में** तैयार की जाएगी। प्रपत्र–एम॰1 के स्तम्भ–4 में 'पता' के साथ पंचायतस्तरीय समिति के मामले में वार्ड

संख्या, प्रखंडस्तरीय समिति के मामले में पंचायत का नाम, जिलास्तरीय समिति के मामले में प्रखंड का नाम एवं प्रमंडलस्तरीय/ राज्यस्तरीय समिति के मामले में जिला के नाम का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

(vi) **खंड-घ की सूची को मतदान केंद्र संख्या के अनुरूप वार्डवार/ पंचायतवार/ प्रखंडवार/ जिलावार विभाजित करने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाएगी-**

(क) वर्तमान में प्राधिकार के पत्रांक 1486 दिनांक 04.09.2024 के अनुसार यदि किसी समिति में मतदाताओं की संख्या 1730 है, तो यहां 1730/700= 2.47 अर्थात तीन मतदान केंद्र स्थापित किए जाने हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1730/3= 576.67 अर्थात 577 होती है। इसे 50 के गुणज में परिवर्तित कर प्रथम एवं द्वितीय मतदान केन्द्र पर प्रत्येक के साथ 600 मतदाता तथा तृतीय मतदान केन्द्र पर शेष 530 मतदाता संबद्ध किए जाने का प्रावधान है।

(ख) **किंतु अब नई व्यवस्था के अनुसार खंड-घ की सूची को मतदान केंद्र के अनुसार समिति की विशेष बैठक में ही विखंडीकृत किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र के साथ अधिकतम 700 मतदाताओं को सम्बद्ध किया जाएगा।** यदि इस विभाजन के फलस्वरूप किसी मतदान केन्द्र पर वार्ड विशेष के मतदाताओं को समायोजित करने के क्रम में मतदाताओं की संख्या 700 से अधिक होती है, तो वहाँ सहायक मतदान केन्द्र भी स्थापित किया जा सकता है। किंतु अनिवार्य रूप से सहायक मतदान केन्द्र मूल मतदान केन्द्र के साथ स्थापित किया जाएगा। **इस प्रयास की मूल भावना यह होनी चाहिए कि कोई भी मतदाता अपने निकटतम मतदान केन्द्र पर मतदान कर सकें।**

(ग) इस विभाजन के क्रम में यह विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किसी वार्ड विशेष के मतदाताओं का नाम निकटत्तम एक ही मतदान केंद्र में रखा जाय, इसे अलग अलग मतदान केन्द्रों में नहीं रखा जाय। उदाहरणस्वरूप, इस प्रकार मतदान केन्द्रवार बनाई गई सूची में यदि वार्ड नंबर 1 से 4 तक के मतदाता क्रम संख्या 1 से 560 तक हैं तो प्रथम मतदान केंद्र से क्रम संख्या 1 से 560 तक के मतदाताओं को ही संबद्ध किया जाएगा । इसी प्रकार वार्ड नंबर 5 से 10 तक के मतदाता क्रम संख्या 561 से 1155 तक हैं तो द्वितीय मतदान केंद्र से क्रम संख्या 561 से 1155 तक के मतदाताओं को संबद्ध किया जाएगा। शेष वार्डों के मतदाताओं को तृतीय मतदान केंद्र से सम्बद्ध किया जाएगा।

(घ) **संलग्न प्रपत्र- घ में तैयार की गई सूची पर समिति की विशेष बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।**

(ड.) यदि समिति के अभिलेख में वार्ड नंबर/ पंचायत का नाम/ प्रखंड का नाम/ जिला का नाम अंकित नहीं है, तो संबंधित मतदाता को यह अधिकार होगा कि वे आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर वार्ड नंबर/ पंचायत का नाम/ प्रखंड का नाम/ जिला का नाम की प्रविष्टि मतदाता सूची में करा लें। यदि सदस्य प्रमाणक नहीं उपलब्ध कराता है, तो समिति की सदस्यता हेतु प्राप्त पूर्व के अभिलेख के आधार पर पता अंकित किया जाएगा।

(च) **विशेष बैठक में उपस्थित पर्यवेक्षकीय कर्मी की यह जिम्मेवारी होगी कि वे प्रपत्र- एम॰ 1 (खण्ड-घ) में तैयार की गयी प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची में पता के कॉलम पर विशेष ध्यान दें। खण्ड-घ की सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर समिति के पदधारकों (यथा- अध्यक्ष एवं प्रबंधक अथवा प्रशासक) का नाम /पदनाम/ मुहर/ हस्ताक्षर और तिथि अनिवार्य रूप से रहेगा। पर्यवेक्षकीय कर्मी भी अपना नाम/ पदनाम/ हस्ताक्षर और तिथि के साथ इस के प्रत्येक पृष्ठ को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।**

(छ) **निर्वाचन प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित निबंधन पदाधिकारी, यथा- जिला सहकारिता पदाधिकारी भी ध्यान देंगे कि खण्ड-घ की सूची के "पता" के कॉलम में Uniform रूप से वार्ड नंबर/ पंचायत/ प्रखंड/ जिला का अंकन हुआ है या नहीं। यदि अंतर पाया जाता है तो समिति के अभिलेख/ आवासीय प्रमाण-पत्र के आधार पर इसे सुधार करने के लिए वे प्राधिकृत होंगे।**

5. अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में सहकारी समिति की मतदाता सूची वार्डवार/ पंचायतवार/ प्रखंडवार/ जिलावार तैयार करने हेतु सभी सहकारी समितियों एवं सभी पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी को संबंधित निबंधन पदाधिकारी ससमय निदेशित करेंगे। भविष्य में निर्वाचन देय सभी सहकारी समितियों की प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने हेतु उपर्युक्त प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. इस संबंध में पूर्व में निर्गत प्राधिकार का पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024 एवं अन्य सभी निर्देश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन,
26.10.26

(कयूम अंसारी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक: 2453 /पटना, दिनांक: 26-10-26

प्रतिलिपि: सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.10.26
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक: 2453 /पटना, दिनांक: 26-10-26

प्रतिलिपि: निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की इस निर्देश के अनुपालन हेतु अपने स्तर से क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

26.10.26
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक: 2453 /पटना, दिनांक: 26-10-26

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), बिहार/ सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स0स0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.10.26
संयुक्त सचिव।